न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 96 / 2023

1 जितेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी कृपाराम की ढ़ाणी तहसील नेछवा जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दराम पुत्र टीकूराम।
2 सोहनी देवी पत्नी गोविन्दराम।
3 धर्मपाल पुत्र गोविन्दराम समस्त जाति जाट निवासीगण कृपाराम की ढ़ाणी तहसील नेछवा जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का सूतोद तहसील नेछवा जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का तिड़ोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर।
6 तहसीलदार नेछवा जिला सीकर बहैसियत भू–धारक।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 04.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर मुकदमा नम्बर 41 / 2023 बउनवानी जितेन्द्र कुमार बनाम गोविन्दराम आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2023 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा एक नियमित वाद अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर के यहां वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने बक्सीसनामा एवं उसके साथ अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 41/2023 उनवानी जितेन्द्र कुमार आदि बनाम गोविन्दराम आदि रेस्पोडेन्टस के खिलाफ प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आवेदन में दिनांक 23.06.2023 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर आगामी तिथि पेशी 10.08.2023 नियत की गयी थी। दिनांक 17.08.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से जबाब प्रस्तुत किये बिना ही दिनांक 23.06.2023 को जारी इकतरफा स्थगन आदेश को निष्प्रभावी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2023 नियत की गयी। दिनांक 22.08.2023 तक उपखण्ड अधिकारी नेछवा का कार्यालय लक्षमणगढ़ में ही स्थापित था जिसके पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार मीणा थे आगामी तारीख पेशी 13.09.2023 को पत्रावली अपीलांट व उसके अधिवक्ता को अवगत कराये बिना ही उपखण्ड अधिकारी नेछवा के यहां स्थानान्तरित कर दी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 15.09.2023 नियत की गयी इस तारीख पेशी पर वकील प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश 39 नियम 3 का हवाला देते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश हटाये जाने का निवेदन किया, वकील वादी अनुपस्थित होने के कारण वकील प्रतिवादी द्वारा शार्ट डेट का निवेदन किया जिस पर आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 22.09.2023 नियत की गयी तथा दिनांक 22.09.2023 को अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन कर रखा है इसलिए आगामी पेशी 04.10.2023 को पत्रावली पेश हो। दिनांक 04.10.2023 को पत्रावली पेश हुई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को प्रकरण की कोई सूचना दिये बिना व बिना सुने ही दिनांक 23.06.2023 को पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश में अंकित खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 576 रकबा 1.37 हैक्टर वाके ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर को स्थगन आदेश से मुक्त किया जाता है तथा शेष विवादित भूमि पर स्थगन आदेश यथावत रहेगा, का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर अपीलांट को बिना सुने ही प्रिज्यूडिस होकर केवल मात्र कल्पना व कयास के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि खुर्द बुर्द कर दी जाती है। तो वाद बाहुल्यता बढ़ जायेगी इस कारण अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय लक्षमणगढ़ से पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी/अपीलांट का कोई नोटिस, सूचना जारी नहीं की गयी तथा प्रार्थी/अपीलांट को बिना सुने ही प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2023 में से खसरा नम्बर 576 वाके ग्राम तिडोकी बडी के बाबत स्थगन आदेश को अपास्त करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया। कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी/अपीलांट को सुना जाकर प्रार्थना पत्र का जवाब लेकर मेरिट्स पर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट को सुना जाना कानूनन आवश्यक था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट को बिना सूचना व नोटिस दिये ही प्रार्थी/अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया होने के कारण भी चुनौतीग्रस्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर द्वारा मु.नं. 41/2023 बउनवानी जितेन्द्र कुमार बनाम गोविन्दराम आदि में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 को अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को भूमि खसरा नम्बर 576 रकबा 1.37 हैक्टर वाके ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(2) पेज 66, आर.एल.डब्ल्यू 2005(2) आर.जे. पेज 130, डी.एन.जे. 2014(1)(Raj.) पेज 161 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। विचाराधीन प्रकरण से रेस्पोडेन्ट की भूमि का लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट की भूमि पैत्रिक नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। रेस्पोडेंट का कथन है कि विचाराधीन प्रकरण से रेस्पोडेन्ट की भूमि का लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट की भूमि पैत्रिक नहीं है। अपीलांट के हितो का निर्धारण मूल वाद में होना है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर